धारा-5. सीमित अथवा असीमित दायित्वपूर्ण निबन्धन, - (1) कोई समिति, सीमित अथवा असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के रूप में निबन्धित की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति का निबन्धन जिसका कोई साधारण सदस्य दूसरी सहकारी समिति हो, सीमित दायित्व वाली समिति के रूप में होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन निबन्धक सीमित दायित्व वाली समिति के नाम का अंतिम शब्द ''सीमित'' अथवा उसका अंग्रेजी पर्याय 'Limited' होगा।